संख्या-71/2018/1451/24-1-18-54पी/02टी0सी0-1

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-744/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/341/2018-19, दिनांक 24 मई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-50/2018/859/24-1-18-54पी/02 टी0सी0-1, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 जिसके द्वारा राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में धनराशि रूपये 4200,00,00,000/- (रूपये चार हजार दो सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए शासनादेश के प्रस्तर-2 में स्वीकृति धनराशि का आहरण माह अप्रैल, 2018 से माह मार्च, 2019 तक धनराशि रूपये 350,00,00,000/- (रूपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) की बारह समान मासिक किश्तों में किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को एतदद्वारा संशोधित करते हुए यह आदेश दिये जाते हैं कि रूपये 4,200 करोड (रूपये चार हजार दो सौ करोड मात्र) की स्वीकृत धनराशि में से अप्रैल से जून, 2018 तक आहरित रूपये 1050 करोड (रूपये एक हजार पँचास करोड मात्र) (3x350 करोड) की धनराशि के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 3150 करोड (रूपये तीन हजार एक सौ पँचास करोड मात्र) में से जून, 2018 में रूपये 700 करोड (रूपये सात सौ करोड मात्र) की धनराशि का आहरण नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के लंबित देयों के भुगतान हेतु किया जायेगा, तथा इस आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 2450 करोड (रूपये दो हजार चार सौ पँचास करोड मात्र) में से जुलाई, 2018 में रूपये 290 करोड (रूपये दो सौ नब्बे करोड मात्र) का तथा अगस्त, 2018 से मार्च, 2019 तक प्रतिमाह रूपये 270 करोड (रूपये दो सौ सत्तर करोड मात्र) की समान मासिक किस्तों में किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0सं0	केन्द्रीय सार्वजनिक विद्युत उपक्रम	बकाया राशि (करोड़ रू0 में)
1	एन0एच0पी0सी0	52.87
2	एन0पी0सी0आई0एल0	68.95
3	एन0टी0पी0सी0	417.78
4	पी0जी0सी0आई0एल0	231.92
5	टी0एच0डी0सी0	478.75
6	सतलज	15.98
7	अरावली	4.24
	योग-	**1270.49**

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 19 अप्रैल, 2018 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक ''2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान - 27 सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-109/दस-2018, दिनांक 1 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(इन्द्रराज सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-71/2018/1451(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतम
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in